मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3– 15/2016/18–5 भोपाल दिनांक 25/1/2016
प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला–श्योपुर

2. सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय श्योपुर ।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत श्योपुर

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नगर पालिका परिषद श्योपुर

1478/TC
02/02/16.

विषय :–श्योपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने श्योपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।
संलग्न :– यथोपरि

Sd/-
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
25/1/16

पृ0क्र0–एफ 3– 15/2016/18–5 भोपाल दिनांक 25/1/2016
प्रतिलिपि :–

1. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।
2. आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकाशित सूचना की कतरने उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

Sd/-
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
25/1/16

208
T.C. 30/1/16

02.2.16

कृपया website पर तत्काल प्रकाशन करावें।
ADM(A)

57
TC

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 25-1-/2016

क्रमांक–एफ–3/75/18–5/2016 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट श्योपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	कस्बा श्योपुर	500/2 में से, 503 में से	3.234 हे0 0.324 हे0	औद्योगिक	आवासीय
		योग–	3.558 हे0		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर/श्योपुर तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस.के.मुद्गल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

dhara 23 k(1) k H/Ord.

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक– /698/32/2013 भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री शेख मोहम्मद इमरान
अध्यक्ष रघुवीर नगर गृह निर्माण
सहकारी संस्था 5311नंदलाल पुरा
दस्तक भवन इंदौर ।

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–6(1)(ख) के अंतर्गत जानकारी --शेख मोहम्मद इमरान इंदौर ।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 10/02/2013

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें । सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई जानकारी की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न प्रेषित है । कृपया शेष जानकारी हेतु आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल में सम्पर्क करने का कष्ट करें । कृपया प्राप्ति की अभिस्वीकृति भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्नःयथोपरि

(एस के मुदगल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एव पर्यावरण विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MANTRALAYA

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated25/01/2016

No. F-3/15/18-5/16 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Sheopur Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (In Hec.)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Kasba Sheopur	Out of Khasara No. 500/2 & 500/3	3.234 0.324	Industrial	Residential
		Total	3.558		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, Gwalior-Sheopur as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

dhara 23 k(1) k H/Ord.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(S.K.Mudgal)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment
Department

25/11/2016

dhara 23 k(1) k H/Ord.